आरोपी अनु
प्रकरण लोक अदालत पूर्व
परिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि उन्हें पक्षकार से
हेतु कुछ समय प्रदान किया जावें विचारोपरांत समय दिया गया।
प्रकरण राजीनामा हेतु लोक अदालत 12.12.2020 को पेश हो।

(चारूलता दांगी)
न्यायिक मजि.प्र.श्रे.सनावद

प्रकरण आज दिनांक 12.12.2020 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

परिवादी द्वारा श्री जी.एस.चौहान अधिवक्ता उप.।

प्रकरण लोक अदालत में राजीनामा हेतु नियत है।

प्रकरण में परिवादी की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर प्रकट किया गया है कि परिवादी और आरोपी के मध्य राजीनामा हो गया है। अब उनके मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण समाप्त करने तथा न्यायशुल्क वापिस दिये जाने का निवेदन किया है।

अभिलेख देखा गया। अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त पर परिवादी के साथ किये गये अपराध के संबध में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध का आरोप लंबित है। लंबित उक्त अपराध राजीनामा योग्य होकर शमनीय स्वरूप का है। परिवादी द्वारा मामले में अभियुक्त से स्वेच्छया राजीनामा किया गया है तथा वह स्वयं आरोपी से धनराशि प्राप्त हो जाने से प्रकरण को चलाना नहीं चाहता है। अतः अपराध की प्रकृति को देखते हुए परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण को न चलाया जाने से उक्त प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से होने से परिवादी को विवादित चैक की राशि पर देय न्यायशुल्क वापस किए जाने

के संबंध में **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत रमेशचन्द्रा विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. एवं अन्य आई.एल.आर.(2012) एम.पी. 320 डीबी तथा मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना कमांक 9–1–86–बी–xxi दिनांक 10 अप्रेल 1987** के अनुसार लोक अदालत में हुए समझौते अनुसार पृथक से न्यायशुल्क वापसी का प्रमाण पत्र बनाया जावें।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.12.2020 कमांक ए/2872 के निर्देशानुसार आरोपीगण एवं फरियादी के हस्ताक्षर आदेश पत्रिका पर नही लिये गये।

प्रकरण तैयार किया जाकर नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(चारूलता दांगी)
पीठासीन अधिकारी
खण्ड कमांक 17

सदस्य.....

सदस्य.....